संख्या-40-51/77-4-2001

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
   उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम,
   कानपुर।

2. उद्योग निदेशालय,
   उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4, लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2001

विषय- रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुनर्वासित करने के लिये शासन को अनेकानेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जो बहुधा सफल नहीं होते हैं, इसलिये ऐसी इकाईयों को जो रूग्ण हैं या जिनकी बैलेन्स शीट में पिछले तीन वर्ष में लगातार घाटा हो रहा है, को पुनर्वासन के रूप में निम्नानुसार सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. उद्यमियों के उत्तराधिकारियों को लीज डीड बगैर हस्तांतरण शुल्क के हस्तान्तरित होगी और लीज डीड के रिन्यूवल की शर्त के अनुसार सुविधा दी जायेगी।
2. सरप्लस भूमि के विक्रय की खुली छूट दी जायेगी। इस भूमि का भू-उपयोग उक्त क्षेत्र के लिये प्रस्तावित आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग के रूप में प्रयोग किया जायेगा। इससे रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन में त्वरित सहायता मिल सकेगी।

2. अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त अनुसार समुचित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनूप मिश्र)
सचिव।